भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सहायक लाइब्रेरियन और सूचना अधिकारी, एलएचएमसी, नई दिल्ली के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग- डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सहायक लाइब्रेरियन और सूचना अधिकारी, एलएचएमसी, नई दिल्ली के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं0 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.inपर ई-मेल कर सकते हैं।

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, समूह-ख (अराजपत्रित) लाइब्रेरियन भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में पुस्तकालय सहायक एवं सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, पुस्तकालय सहायक एवं सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतन स्केल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय सहायक व सूचना अधिकारी	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अनन्नुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 (रू.- 44900-142400)	चयन	30वर्ष से अधिक नहीं केंद्रीय सरकार द्वारा) समयसमय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के - अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयुमें पाँच वर्ष तक की छुट दी जा सकती है। टिप्पण सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में -आयु :1 करने के लिएर्थियों से आवेदन प्राप्तअभ्यनियत की गई अंतिम तारीख होगी। ,मिजोरम ,अरूणाचल प्रदेश ,मेघालय ,न कि वह अंतिम तारीख जो असम) मणिपुरहिमाचल , के लद्दाख खंडर राज्यकश्मी-जम्मू ,मसिक्कि ,त्रिपुरा ,नागालैंड , अंदमान और , जिले के पांगी उपखंडति जिले तथा चम्बाप्रदेश के लाहोल और स्पी निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। (

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई

अर्हताएं	लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	हो।
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री । (ii) केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तत या स्वशासी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **<u>वांछनीय अर्हता</u>** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा। **टिप्पण -1** अर्हताएंअन्यथा सुअर्हित अभ्य ,र्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं | **टिप्पण** अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं -2कर्मचारी चयन आयोग /सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है |	आयु : नहीं अर्हता : नहीं, परंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री आवश्यक होनी चाहिय ।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धतिति द्वारा भर्ती सीधे होगी या प्रोन्न : प्रतिनियुक्ति या या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
1/3 प्रोन्नति द्वारा 2/3 सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन लेवल 6, रूपय 35400-112400 पर पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद से प्रोन्नति।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति -: (i) अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षकक्षअध्य - नई दिल्ली ,लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज , (ii) उपनिदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी - सदस्य (iii) उपनिदेशक प्रशासन सदस्य - नई दिल्ली ,लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज , विभागीय पुष्टि समिति -: (i) अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक नई दिल्ली ,लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज , क्षअध्य - (ii) उपनिदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारीसदस्य - (iii) उपनिदेशक प्रशासन नई दिल्ली ,लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज , सदस्यं -	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा0 सं0 ए. 11018/05/2005 आरआर]

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार